हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी, हुए

प्रार्थना-पत्र जर्ये अभिभाषक श्री हरिओम यादव Adv. द्वारा पेश हुआ दर्ज रजिस्टर किया जरिये अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 24-4-18 को पेश हो।

[illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24-4-18 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित सम्मन रजिस्टर्ड प्राप्त हो चुके हैं जो शा. फा. हैं। संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम माँगरोल में स्थित है जिसके खाता संख्या 295 में ख.नं. 1259 रकबा 0.23 हैं. ख.नं. 1317 रकबा 0.54 हैं. ख.नं. 1322 रकबा 0.63 हैं. कुल किता 3 रकबा 1.40 हैं. है जिसकी पुष्टि जमाबंदी 2069-72 से होती है शामलाती खाते की आराजी में प्रार्थी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/4 निहित है व प्रार्थी नं. 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/6 निहित है व प्रार्थी नं. 7 का हिस्सा 1/12 निहित है तथा प्रार्थी नं. 1 लगायत 9 मृतक चन्दालाल का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है इनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज हो चुका है नैनगीबाई बेवा गोपाल का भी पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है इसलिए इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है सभी सहखातेदारान अपने-2 हिस्से पर ~~काब~~ काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थी 1 लगायत 9 के बीच ~~विधि~~विधिवत बंटवारा नहीं होने से आये दिन कब्जे काश्त को लेकर झगड़ा होता रहता है प्रार्थीगण को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त नहीं करने देते हैं और यह कहते हैं कि खाते में नाम होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
	क्या होता है काश्त तो हम ही करेंगे कभी पिलाई को लेकर भी विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण मॉगरोल में स्थित कुल आराजी रकबा 1.40 हे. के सहखातेदार हैं इन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि काश्त करने के लिए बंटवारा किया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण कई बार अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 9 से बंटवारे के लिए कहा लेकिन वह तैयार नहीं हुये बल्कि प्रार्थीगण को धमकियां देते हैं कि तुम्हारी आराजी को भी हम ही काश्त करेंगे उक्त आराजी को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो इसलिए आराजी का बंटवारा किया जाना आवश्यक है अप्रार्थीगण बिना बंटवारे के ही आराजी का एक खसरा नम्बर को विक्रय करना चाहते हैं इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त वर्णित आराजी को विक्रय नहीं किया जावें। अतः विवादित आराजी ग्राम मॉगरोल के खाता सं. 295 में खसरा नम्बर 1259 रकबा 0.23 हे. ख.नं. 1317 रकबा 0.54 हे. व ख.नं. 1322 रकबा 0.63 हे. कुल किता 3 रकबा 1.40 हेक्टर में ताफैसला वाद तक किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें अप्रार्थीगण को ~~[illegible]~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का बेचान, रहन नहीं करें ऐसा कार्य न तो स्वयं करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें ~~[illegible]~~ पत्रावली में अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।